"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2009—वैशाख 11, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2009

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.— श्री सरजियस मिंज, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि एवं वन विभाग को दिनांक 19 से 29 अप्रैल, 2009 तक टोकियो, रेपिड एवं न्यूयार्क की शासकीय विदेश प्रवास पश्चात् दिनांक 30-04-2009 से 05-05-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छ. ग. शासन, कृषि एवं वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2009

क्रमांक 352/214/2009/1-8/स्था.— श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 26-3-2009 से 2-4-2009 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर केसवानी को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर केसवानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक 358/292/2009/1-8/स्था.— श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 20-5-2009 से 30-5-2009 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक 360/258/2009/1-8/स्था.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 203-204/51/2009/1-8/स्था, दिनांक 17-2-2009 के पैरा-1 द्वारा श्री बी. आर. राव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को स्वीकृत 12 दिवसीय अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुये श्री बी. आर. राव को संशोधित आवेदन अनुसार निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 17-2-2009 से 26-2-2009 तक 10 दिवस अर्जित अवकाश
2. दिनांक 27-2-2009 से 13-3-2009 तक 15 दिवस लघुकृत अवकाश

2. आदेश दिनांक 17-2-2009 की पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 21-13/2008/नौ/55.— औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 20 तथा धारा 33-एफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री ए. के. दुबे, शासकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश, भोपाल को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियों सहित औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए शासकीय विश्लेषक नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 21-13/2008/नौ/55.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

Raipur, the 4th February 2009

No. F 21-13/2008/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Section 20 and Section 33-F of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and in supersession of all pervious notifications, the State Government hereby, appoints Shri A. K. Dubey, Government Analyst, Drug Testing Laboratory, Madhya Pradesh, Bhopal as Government Analyst for the State of Chhattisgarh for Drugs and Cosmetics including drugs specified in Schedule C and C (1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

By order and in the name of the Governor of Chnattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 मार्च 2009

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सनकपाट प. ह. नं.- 09	0.757	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 मार्च 2009

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भोयटोला प. ह. नं.- 08	22.275	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 मार्च 2009

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	मलकछरा प. ह. नं.- 08	14.846	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	मोहभट्ठा जलाशय योजना के बंडपार एवं डुबान क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलियारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	91/10	0.15
योग	1	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दीनदयाल ग्रामीण आवास निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2009

प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-बोदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.021 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	400	0.006
	401	0.005
	382/1	0.002
	404/4	0.005
	405/2	0.003
योग	5	0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आर. ओ. बी. के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्रमांक/क/भू.अर्जन/क्रमांक-16 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
45/37	0.624
380/7	0.636
299/1	0.867
55/1	0.344
45/61	1.045
45/47	0.680
189	0.101
252/2	0.032
190	0.041
78	0.004
302/1	1.354
45/3, 55/2	0.004
45/20	0.004
45/22, 45/5	0.024
188	0.182
239	0.049
240	0.105
241/1	0.446
241/2	0.121
243	0.223

(1)	(2)
244/1	0.121
245	0.016
246	0.004
380/41	0.502
247/1	0.178
380/45	0.502
249	0.365
252/4	0.324
302/8	0.275
380/2	1.069
250	0.247
380/13	0.482
380/17	0.470
380/75	0.223
380/10	0.668
380/11	1.555
302/28	1.230
380/14	0.275
45/2, 55/4, 65/1	0.009
302/11, 302/21, 302/48	1.313
380/106	0.502
योग 41	17.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मर्राकोनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्रमांक भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3. 30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21/1, 22/1	0.146
21/4, 22/4	0.065
86/2, 87/2, 88/2	0.126
21/2, 22/2	0.138
23/3	0.105
21/3, 22/3	0.069
86/3, 87/3, 88/3	0.057
23/2	0.122
97/4	0.045
76/1	0.049
76/2	0.413
76/3	0.081
78	0.085
77	0.065
425/1	0.053
425/5	0.109
425/2	0.105
89/1	0.071
89/2	0.071
97/1	0.093
99	0.227
447	0.142
444/1-2	0.101
442/1	0.061
442/2	0.061
425/3	0.077
425/4	0.077
428/1	0.158
428/2	0.158
योग 29	3.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सेमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 01/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	साडगुड़/16	182	0.25
			286	0.14
			290	0.04
			291	0.10
			784	0.02
			785	0.02
			787	0.06
			789	0.06
			792	0.08
			803	0.08
			1054	0.11
			1057	0.02
			1069	0.03
			1070/1	0.23
			1070/2	0.23
			1070/3	0.24
			1071	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1072	0.03
			1073	0.02
			1066/4	0.04
			1067/1	0.05
			1067/3	0.03
			181	0.05
			योग	**2.13**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 02/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	हाटपदमुर/18	67	0.03
			68	0.05
			69	0.01
			70	0.02
			71	0.05
			72	0.10
			73	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			81	0.14
			82	0.02
			83	0.05
			89/1	0.06
			89/2	0.05
			91	0.11
			94	0.04
			123/1	0.013
			123/2	0.013
			123/3	0.012
			123/4	0.012
			126	0.05
			130	0.05
			136	0.02
			139	0.02
			163	0.15
			166	0.03
			164	0.16
			129	0.01
			138	0.01
			योग	**1.31**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 03/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (5)
बस्तर	तोकापाल	बुरूगपाल/10	31	0.09
			50	0.04
			57/1	0.03
			57/2	0.02
			71	0.03
			74	0.06
			80	0.03
			83/1/2	0.04
			83/2	0.12
			159/1	0.02
			159/2	0.01
			160	0.04
			161	0.01
			166	0.01
			167	0.01
			168	0.03
			170/1	0.01
			170/2	0.01
			188/1/1	0.003
			188/1/2	0.003
			188/2	0.004
			190	0.04
			191	0.03
			396	0.04
			398	0.06
			409	0.03
			415	0.04
			430	0.05
			73	0.02
			82	0.01
			144	0.05
			169	0.04
			411	0.02
			422	0.03
			427	0.09
			431	0.13
			51	0.01
			84/1	0.06
			84/2	0.05
			417	0.08
			योग	**1.50**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 04/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टांटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	पुसपाल/17	434	0.15
			435	0.01
			436	0.15
			451	0.08
			452	0.13
			460/1	0.005
			460/2	0.005
			460/3	0.005
			460/4	0.005
			461	0.09
			466	0.15
			467	0.02
			491/1	0.005
			491/2	0.005
			492	0.12
			718	0.06
			723	0.05
			706	0.02
			450	0.02
			719/1	0.02
			719/3	0.02
			योग	**1.12**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 05/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन्न ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	डोगरीगुड़ा/10	280	0.04
			281	0.02
			284	0.09
			289	0.12
			290	0.05
			291	0.05
			292	0.10
			295	0.04
			296	0.15
			299	0.02
			300	0.04
			301	0.08
			303	0.06
			304	0.10
			योग	**0.96**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 06/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	जोजल/17	73	0.15
			76	0.01
			87	0.01
			88	0.25
			93	0.05
			95	0.07
			109	0.04
			110	0.08
			125	0.06
			126	0.05
			140	0.13
			141/1	0.06
			141/2	0.60
			142/1	0.10
			142/2	0.45
			143	0.05
			144	0.01
			156	0.07
			185/1	0.035
			185/2	0.035
			190	0.16
			192/1	0.24
			192/2	0.24
			योग	**2.95**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 07/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (5)
बस्तर	जगदलपुर	जमावाड़ा/15	1	0.10
			3	0.02
			4/1	0.033
			4/2	0.032
			4/3	0.032
			4/4	0.033
			6	0.04
			179	0.11
			207	0.08
			208	0.10
			222	0.38
			224	0.09
			270	0.01
			272	0.08
			274	0.08
			313	0.11
			16	0.03
			320	0.03
			321	0.07
			322	0.04
			323	0.04
			325	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			327	0.09
			328	0.05
			15	0.03
			186	0.08
			187/1	0.033
			187/2	0.032
			187/3	0.032
			187/4	0.033
			188	0.01
			189	0.03
			269/1	0.04
			269/2	0.04
			योग	**2.08**

जगदलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 08/अ.वि.अ./भू.पा.ला./अ-82/2008-09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	जगदलपुर	उलनार/16	1	0.04
			2	0.03
			14/1	0.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14/2	0.025
			261	0.04
			262	0.10
			296	0.09
			297/1	0.06
			297/2	0.06
			297/3	0.06
			298	0.06
			299	0.02
			308	0.12
			263	0.08
			योग	**0.81**

हस्ता./-

सक्षम अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th April 2009

No. 314/Confdl./2009/II-2-2/2002.—The following District Judge (Selection Grade) as specified in Column No. (2) are hereby appointed on the post of District Judge (Super Time Scale) of Rs. 22850-500-24850 from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Smt. Anita Jha, Judge, Family Court, Rajnandgaon	31-03-2009
2.	Shri Chhabilal Patel, District & Sessions Judge, Surguja, (Ambikapur).	31-03-2009
3.	Shri Arvind Kumar Shrivastava, Ragistrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	01-04-2009
4.	Shri Rajendra Chandra Singh Samant, District & Sessions Judge, Raigarh.	01-04-2009

By order of the High Court,
SANDEEP BUXY, Registrar (Vigilance).